संख्या-52/2018/क0नि0-4-1089/11-2018-300(43)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबन्धन, अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018**

विषय : वाणिज्य कर मुख्यालय भवन, गोमती नगर, लखनऊ में प्रथम तल पर मीटिंग हाल एवं चतुर्थ तल पर कमान सेंटर के कक्षों में विभिन्न कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-984-मुख्यालय/सिविल कार्य/2018-19/534/वाणिज्य कर दिनांक-13.09.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-10.00 करोड़ में से वाणिज्य कर मुख्यालय, गोमती नगर, लखनऊ में प्रथम तल पर मीटिंग हॉल में विभिन्न सिविल कार्य हेतु रू0-21.82 लाख एवं वाणिज्य कर मुख्यालय, गोमती नगर, लखनऊ में कमान सेन्टर कक्षों में विभिन्न सिविल कार्य हेतु रू0-3.92 लाख का भुगतान कार्यदायी संस्था अनुरक्षण खण्ड-1 (सिविल) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को तथा वाणिज्य कर मुख्यालय भवन, गोमती नगर, लखनऊ में प्रथम तल पर मीटिंग हॉल एवं चतुर्थ तल पर कमान सेन्टर में विद्युत कार्य हेतु रू0-8.05 लाख एवं नेटवर्किंग कार्य हेतु रू0 10.28 लाख का भुगतान कार्यदायी संस्था विद्युत अनुरक्षण खण्ड2 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को अर्थात कुल धनराशि रू0-44.07 लाख (रूपया चौवालीस लाख सात हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
4. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- 2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03- वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाले जायेगा।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव

संख्या-52/2018/क0नि0-4-1089(1)/11-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1 (सिविल) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड2 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।